तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **श्रवण राम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसिया)** सू.अ.अपील संख्या 47/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07–06–24	अपीलार्थी श्रवण राम निवासी ग्राम भीमसागर, तहसील ओसियां जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11/12/2023 में पटवार हल्का ओसियां में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत कृषि भूमियों में अवैध कॉलोनियां काटकर बेचान करने एवं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, ओसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, ओसियां) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, ओसियां) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर ग्रामीण जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रा.)	